Sl.	Mo.	Name of the Hospital	Beds con-structed	Gem. T.B.	
WEST BENGAL:					
112.	ESI	Hospital, Asansol	150	60	90
113.	ESI	Hospital, Belur Belly	150	—	150
114.	ESI	Hospital, Baltikuri	416	416	—
115.	ESI	Hospital, Gaurhati	216	216	—
116.	ESI	Hospital, Budge-Budge	300	300	—
117.	ESI	Hospital, Kalyani	266	266	—
118.	ESI	Hospital, Kamarhati	325	325	—
119.	ESI	Hospital, Maniktola	500	500	—
120.	ESI	Hospital, Sealdah	250	250	—
121.	ESI	Hospital, Ulubaria	216	166	50
122.	ESI	Hospital. , Serampore	216	216	—
123.	ESI	Hospital. Bandcl	250	—	250
124.	ESI	Hospital, , Thakurpukur	300	300	—
		TOTAL:	21475	19450	2025

B. Statement showing the number of existing Hospitals under different welfare funds.

1.	Central Hospital, Gangapur	Bhilwara	30 Beds	LSDM	
2.	Central Hospital, Karma	Karma	100 Beds	MICA	
3.	Regional Hospital, Tisri	Karma	10 Beds	MICA	
4.	Central Hospital, Kalichedu	Hyderabad	30 Beds	MICA	
5.	Central Hospital, loda	Bhubaneswar	50 Beds	IRON	ORE
6.	Central Hospital, Kariganur	Bangalore	25 Beds	IRON	ORE
7.	Central Hospital, Barajamda	Karma	50 Beds	IRON	ORE
8.	Central Hospital, Tiska (Goa)	Nagpur	60 Beds	IRON	ORE
9.	Central Hospital, Balaghat	Jabalpur	50 Beds	IRON ORE	
10.	Central Hospital, Mysore (at present functioning as (30 Beds). Inaugrated to be operated at 50 Bedded Hospital.	Bangalore	50 Beds	BEEDI	
U.	T.B. Hospital, Karma	Karma	50 Beds	BEED1	
12.	10-Bedded Hospital, Gursahaiganj	Allahabad	10 Beds	BEEDI	

खेतिहार मजदूरों के लिए मजदूरी की दरें

234. **श्री रामजीलाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेतिहार मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या हैं और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या हैं

(ख) विभिन्न राज्यों और केन्द्रों शासित प्रदेशों में उनके लिए मजदूरी की दरें क्या हैं और उनको अपनाने का मानदण्ड क्या हैं

(ग) क्या सरकार इन दरों से संतुष्ट हैं और

(घ) यदि नही, तो सरकार इन दरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं और कब तक

श्रम मंत्री (श्री एम.अरूणाचलम) : (क) से (घ) कृषि श्रमिकों की राज्य-वार संख्या और कृषि श्रमिकों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरे दर्शाने वाला विवरण संलग्र हैं। (नीचे देखिए) भिन्न-भिन्न समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों के

निर्धारण के लिए कोई एक समान मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। तथापि, भारतीय श्रम सम्मेलन, 1957 द्वारा इस प्रयोजनार्थ सिफारिश किए गए मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित हैं कि मजदूरी दर तीन उपभोग इकाईयों वाले परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास ईधन और व्यय की अन्य विविध मदो संबंधी न्यूनतम व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। केन्द्रीय सरकार कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित दर से संतुष्ट नहीं हैं और उनसे अनुरोध करती रही हैं कि वे 35/-रू. प्रति दिन से कम दर निर्धारित न करें। इसके अलावा सरकार उनसे यह अनुरोध भी करती रही हैं कि वे मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण /संशोधन के संबंध में विभिन्न मंचों और निकायों द्वारा सिफारिश किए गए दिशा निर्देशो तथा मानको का पालन करें। सिफारिशें की गयी कार्रवाईयों में मजदूरी को न्यूनतमदरों में नियमित रूप से संशोधन किया जाना तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्व परिवर्ती महंगाई भत्ता के घटक का प्रावधान शामिल हैं।

विवरण

न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 **के अंतर्गत विभिन्न राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारो की संख्या (हजारो में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1.	आंध्र प्रदेश	11625	30.00 रू. से 36.50 रू. प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (12.2.96)
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	21.00 रू. से 23.00 रू. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	845	1134.00 रू. प्रति माह * या 984 रू. प्रतिमाहउ जमा भोजना आश्रय और कपडे (1.8.89)
4.	बिहार	9513	27.30 रू.प्रतिदिन (21.12.95)
5.	गोवा	35	46.00 रू. प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	3231	34.00 रू. प्रतिदिन (1.4.96)
7.	हरियाणा	897	51.52 रू. प्रतिदिन * भोजन सहित या 55.52 रू. प्रतिदिन बिना भोजन (1.11996)
8.	हिमाचल प्रदेश	59	45.75 रू. प्रतिदिन (1.3.96)
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	रू. 30.00 प्रतिदिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	5000	26.00 रू. से 35.35 रू. प्रतिदिन (28.3.94
11.	केरल	2120	30.00 रू. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए 40.20 रू. प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	5863	38.50 रू. प्रतिदिन * (1.4.96)
13.	महाराष्ट्र	8313	20.00 रू. से 29.00 रू. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47	47.65 रू. प्रतिदिन *पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 44.65 रू. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के भिन्न क्षेत्रों के लिए (8.7.95)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारो में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
15.	मेधालय	89	35.00 रू. प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	35.00रू. प्रतिदिन (11.6.93)
17.	नागालैड	7	25.00 रू. प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2977	30.00 रू. प्रतिदिन (15.8.96)
19.	पंजाब	1453	51.00 रू. प्रतिदिन* भोजन सहित 58.28 रू. प्रतिदिन बिना भोजन (1.7.95)
20	राजस्थान	1392	32.00 रू. प्रतिदिन (जनवरी, 1995)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना हैं।
22.	तमिलनाडु	7899	20.00 रू. प्रतिदिन (8.4.93)
23.	त्रिपुरा	188	26.65 रू. प्रतिदिन (15.5.95)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	33.00 रू. प्रतिदिन से 35.00 रू. प्रतिदिन (7.1.92)
25.	पं. बंगाल	5055	40.00 रू. प्रतिदिन * (31.12.95)
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	5	37.00 रू. प्रतिदिन (अंडमान) 40.00 रू. प्रतिदिन (निकोबार) (15.8.94)
27.	चंडीगढ़	2	52.00 रू. प्रतिदिन * भोजन सहित या 58.64 रू. प्रतिदिन बिना भोजन (4.11.95)
28.	दादरा और नगर हवेली	6	40.00 रू प्रतिदिन (18.5.95)
29.	दिल्ली	25	64.50 रू. प्रतिदिन* (8.5.95)
30.	दमन और द्वीप	1	35.00 रू. प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	30.00 रू. प्रतिदिन (1.3.93)
32.	पांडिचेरी	77	
	(i) पाडिचेरी क्षेत्र		20.00 से 22.00 रू. प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र		30.00 रू. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिये 4.20 रू. प्रतिदिन भारी कार्य के लिये (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र		19.25 रू. से 26.25 रू प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) कराइकल		56.09. रू. से* 63.09 रू. प्रतिदिन (1.10.96)
		उपलब्ध नहीं	

टिप्पणी : (1) जहां प्रावधान हो न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती महंगाई भत्ता शामिल हैं।

(2) कालम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि मूल मजदूरी में संशोधन की पिछली तिथि दर्शाती हैं।

(3) *मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता हैं।

** स्रोत—जनगणना, 1991